प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 20.10.2024**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 19.10.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी कृष्ण उर्फ किशन पुत्र विनोद निवासी ग्राम मीरपुर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष को ग्राम मीरपुर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 30.04.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

कृष्ण उर्फ किशन पुत्र विनोद निवासी ग्राम मीरपुर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष।

अपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर एन.डी.पी.एस एक्ट के 03 अभियोग पंजीकृत है तथा धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा धोखाधडी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.07.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी विवेक सिंह द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अंशुमन आदि द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी से वादी को प्लॉट बेच देना, वादी द्वारा लिये गये प्लॉट पर अवैध कब्जा कर लेना तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंशुमन गुप्ता पुत्र गिरीश गुप्ता निवासी गली नं0 03 सैन बिहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को जल प्लांट रोड थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मैंने सैन विहार में स्थित एक प्लॉट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर वादी विवेक सिंह को बेच दिया था तथा अपने अन्य साथियो की मदद के उस प्लॉट पर पुनः कब्जा कर लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम /पता-

अंशुमन गुप्ता पुत्र गिरीश गुप्ता निवासी गली नं0 03 सैन बिहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 39 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धोखाधडी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 07 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 20.10.2024 को थाना मसूरी के ग्राम भूडगढी में प्रथम पक्ष के सिकन्दर पुत्र गुलजार निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद आदि व द्वितीय पक्ष के जाहिद पुत्र जहीर निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद आदि दोनों पक्षों के बीच मेड को लेकर गाली गलौच, झगडा व मारपीट की घटना हुई। उक्त प्रकरण के सम्बध में थाना मसूरी पुलिस द्वारा प्रथम पक्ष के 1. सिकन्दर पुत्र गुलजार 2. दानिस पुत्र गुलजार 3. जियाउल हक पुत्र गुलजार 4. परवेज पुत्र गुलजार 5. गुलजार पुत्र सईद अहमद निवासीगण ग्राम भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद तथा दूसरे पक्ष के 1. जाहिद पुत्र जहीर 2. इस्माइल पुत्र शकील 3. अकील पुत्र जहीर 4. शाहिल पुत्र अकील निवासीगण ग्राम भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद व 5-6 अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्तपश्चात आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित प्रथम पक्ष के अभियुक्त 1. सिकन्दर पुत्र गुलजार 2. दानिस पुत्र गुलजार 3. जियाउल हक पुत्र गुलजार 4. परवेज पुत्र गुलजार 5. गुलजार पुत्र सईद अहमद निवासीगण ग्राम भूडगढी थाना मसूरी गाजियाबाद दूसरे पक्ष के अभियुक्त 1.जाहिद पुत्र जहीर 2. इस्माइल पुत्र शकील को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

(1) सिकन्दर पुत्र गुलजार निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
(2) दानिस पुत्र गुलजार निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।
(3) जियाउल हक पुत्र गुलजार निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।
(4) परवेज पुत्र गुलजार निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
(5) गुलजार पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 58 वर्ष।
(6) जाहिद पुत्र जहीर निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष।
(7) इस्माइल पुत्र शकील निवासी ग्राम भूडगढी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के सम्बध में उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मसूरी पर 01 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 33 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई।
आज दिनांक 20.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 04 अभियुक्तों 1. खालिद पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद 2. जीशान पुत्र शेर मोहम्मद निवासी दूधिया पीपल कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 3. नाजिद पुत्र सरताज निवासी दूधिया पीपल कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 4. शाबाज पुत्र बाबू निवासी उस्मान कालोनी कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.खालिद पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष। 2.जीशान पुत्र शेर मोहम्मद निवासी दूधिया पीपल कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद,उम्र करीब 19 वर्ष। 3.नाजिद पुत्र सरताज निवासी दूधिया पीपल कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।
4.शाबाज पुत्र बाबू निवासी उस्मान कालोनी कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।